# मोटर वाहन दुर्घटना प्रतिकर दावा न्यायाधिकरण, झाँसी

**प्रकीर्ण संख्या-149/2021(MACP-463/2018)**
**कमल सिंह कुशवाहा बनाम अंकुर यादव एवं अन्य**

**दिनांकः03.08.2021**

आज यह प्रकीर्ण पत्रावली प्रस्तुत हुई। आवेदक कमल सिंह कुशवाहा मय अधिवक्ता उपस्थित है।

आवेदक की ओर से प्रार्थना पत्र 3B इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि उपरोक्त याचिका न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांकित 14.9.19 के अनुसार ₹4,00,000 प्रतिकर हेतु स्वीकार की गयी थी जिसमें से ₹3,00,000 की एक FDR खाता संख्या-92354050006731/1 सिण्डीकेट बैंक, झांसी में तीन वर्ष की अवधि के लिए आवेदक के नाम बनवाई गयी थी। आवेदक का मकान अधूरा बना पडा है जिसमे दुकान बनवाकर आवेदक व्यवसाय करना चाहता है जिस हेतु आवेदक को उक्त FDR की धनराशि की आवश्यकता है। अतः उक्त FDR की धनराशि उसकी परिपक्वता अवधि के पूर्व याची/आवेदक को दिलाई जाये। अपने कथन के समर्थन में आवेदक की ओर से स्वंय के शपथ के साथ क्रय की गयी भवन निर्माण की भूमि का बैनामा, FDR तथा बैंक खाते की पास बुक की छाया प्रतियाँ दाखिल की गयीं।

सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

प्रार्थना पत्र में वर्णित कथनों की पुष्टि आवेदक के शपथ पत्र, बैनामा से होती है। ऐसी स्थिति में आवेदक का उक्त आवेदन पत्र कुछ शर्तो के अधीन स्वीकार किये जाने योग्य है।

**आदेश**

आवेदक की ओर से प्रस्तुत आवेदन पत्र 3B स्वीकार किया जाता है। शाखा प्रबन्धक सिण्डीकेट बैंक अब कैनरा बैंक, झांसी को आदेशित किया जाता है कि **MACP-463/18** के प्रकरण में आवेदक/याची कमल सिंह कुशवाहा के नाम से बनवाई गयी FDR खाता संख्या-92354050006731/1 की धनराशि में से 50% राशि परिपक्वता अवधि के पूर्व आवेदक के बैंक खाता संख्या-9235201000 6769 IFC-SYNB0009235 सिण्डीकेट बैंक अब कैनरा बैंक,झांसी में RTGS/NEFT के माध्यम से जमा कराया जाना सुनिश्चित करें तथा अवशेष राशि 50% की एक FDR पुनः तीन वर्ष की अवधि के लिए बनवाई जाये। तदनुसार अवगत हों।

**(चंद्रोदय कुमार)**
पीठासीन अधिकारी
मोटर वाहन दुर्घटना प्रतिकर दावा न्यायाधिकरण,
झांसी

Digitally signed by CHANDRODAY KUMAR
Date: 2021.08.06 16:11:10 IST
Reason: PO
Location: MACT JHANSI